I-7799

(90)

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

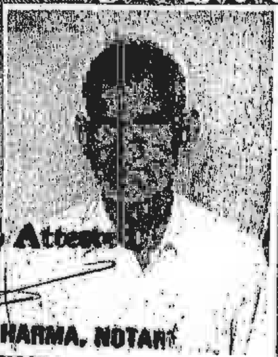

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1

247383

# विक्रय-पत्र

**बैनामा अंकन 12,50,000/- रूपये।  स्टाम्प अंकन 1,00,000/- रूपये।**

**<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः-</u>** कृषि भूमिधरी के चक संख्या 186 के मूल गाटा संख्या 06मि0 रकबा 1-13-0 पुख्ता सम्पूर्ण अपने में से 1/2 भाग 0-16-10 पुख्ता को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है।

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

बैनामी ........ 20/- ........ फीस पृष्ठां० ........
उजरत ........ योग 5020/- ........ शब्द ........ 600
श्री ........
पुत्र श्री ........ पेशा ........
निवासी ........
ने कार्यालय उप रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक ........ 19/5/07
समय मध्य ........ व ........ बजे प्रस्तुत किया

उप रजिस्ट्रार दादरी
19/5/07

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु० ........ 1250000/-
जिसमें से
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री
........

2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 247384

**हम कि बाबू पुत्र श्री रत्ती जाति जाटव निवासी ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेता, फरीक अव्वल)।**

**एवम्**

**हरिओम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।**

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चक संख्या 186 के मूल गाटा संख्या 06मि0 रकबा 1-13-0 पुख्ता सम्पूर्ण अपने में से 1/2 भाग 0-16-10 पुख्ता को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर

बाबू हरिओम

पुत्र श्री गजराज पेशा खेती
निवासी ग्रा० चपरी
व श्री शिवानन्द
पुत्र श्री बाबू पेशा खेती
निवासी चमरावल गाजियाबाद
ने की

सब रजिस्ट्रार दादरी
19/5/07

बाबू

हरिओम

शिवानन्द

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह
अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक
दादरी, गौतम बुद्ध नगर
19/5/07

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J 123477



से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बज़ारू कीमत के बदले अंकन रूपये 12,50,000/- (बारह लाख पचास हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 6,25,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है।

बाबू

दीक्षित

उप रजिस्ट्रार [illegible]
सत्यमेव जयते

18

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 183382



अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 110465



नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

**विवरण धन अदायगी** :- 12,50,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

स्टाम्प की धनराशि 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008
तहसील कम्पाउन्ड दादरी (गौ०बु०नगर)
बिक्री सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B JJ0466

6

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो सलंग्न है।

बाबू

हरिश्चंद

स्टाम्प की धनराशि 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008
तहसील [illegible] (उ.प्र.)
विक्रय सीमा 15000/-

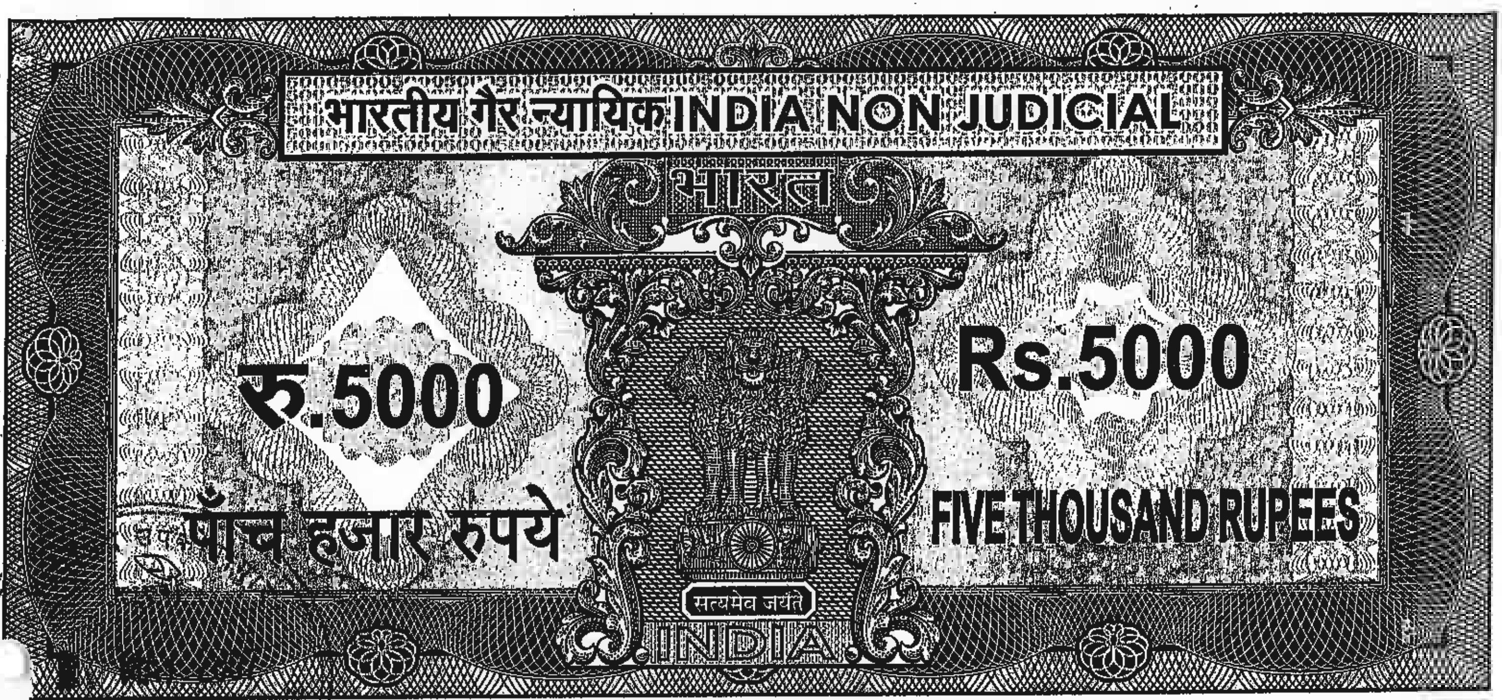


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 110467

7

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

बाबू

हरिओम

गवाह – 1 लखनसिंह s/o श्री शिवराज सिंह ग्रा० दादरी

गवाह – 2 शिवानन्द पुत्र श्री बाबू रामगढ़

तारीख 19-05-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल**, बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1**

19/05/07

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक
तहसील-दादरी
गौतमबुद्धनगर

स्टाम्प की धनराशि 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008
तहसील कम्पाउण्ड दादरी (गौ.बु.नगर)
विक्रय सीमा 15000/-

आज दिनांक 19/5/07 को फोटोप्रति
प्रति पुस्तिका संख्या I खण्ड संख्या 677
के पृष्ठ 55/68 पर क्रम संख्या 7299
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

रजिस्ट्रार दादरी